न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 06/2020

अपीलांट्स –

1. पूनमा पुत्र काछबा जाति कुम्हार निवासी तरला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. ताजा पुत्र काछबा
2. पनाराम पुत्र बाला
3. गुमना पुत्र जगमाल
4. मगा पुत्र जगमाल
5. केसी बेवा जगमाल
6. ठाकरा पुत्र नगा जति कुम्हार निवासी तरला तहसील सेड़वा जिला बाडमेर
7. शाखा प्रबंधक बी.सी.सी.बी. शाखा सेड़वा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेड़वा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 2010/444 दिनांक 07.12.2010 जो खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 8 प्रफोर्मा पक्षकार।
3. शेष रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 07.04.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 2010/444 दिनांक 07.12.2010 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा तरला के खेत खसरा संख्या 9, 27 व 28 कुल रकबा 152.05 बीघा के खातेदारान द्वारा तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान पटवारी फागलिया द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मूल बंटवाड़ा पत्र खसरा संख्या 9, 27 व 28 ग्राम

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तरला का मेरे द्वारा इकरारनामें की रिकॉर्ड के आधार पर जांच की गई। सभी खातेदारों को रकबा एवं लगान से भी भली–भांति अवगत करा दिया है। बंटवाड़े से सभी खातेदार सहमत हैं तथा कोई विवाद नहीं है। इस विभाजन पत्र में न किसी खातेदार का नाम हटाया गया है न ही जोड़ा गया है एवं रकबा व लगान भी पूर्व खाता के अनुसार ही यथावत है। उक्त विभाजन पत्र स्वीकृति किये जाने की सिफारिश की जाती है। इस पर तहसीलदार चौहटन द्वारा हलका पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.12.2010 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.07.2020 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में तहसीलदार चौहटन द्वारा भारी कानूनी एवं विधिक भूल की गई है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 को अपीलाधीन भूमि विरासत मे प्राप्त हुई जिसमें अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 द्वारा संयुक्त खातेदारी की भूमि का बंटवाडा वास्ते मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार पूर्व में आपसी सहमति से किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार समस्त खसरों के विभाजन हेतु सहमति प्रदान की गई थी। हलका पटवारी ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के दबाव में रहते हुए विभाजन हेतु तैयार पूर्व के नक्शे को बदल दिया तथा उभय पक्षकारान के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवा कर विभाजन आदेश तस्दीक करवा दिया। अपीलाधीन विभाजन नक्शे की तरमीम अनुसार मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता है जिसके कारण अपीलांट की ढाणी, बाड़े इत्यादि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये हैं। साथ ही अच्छी किस्म की भूमि रेस्पोडेंट्स के हिस्से में चली गई है एवं अपीलांट के हिस्से में खराब किस्म की भूमि रख दी गई है। लिहाजा अपीलांट की उनके कब्जे–काश्त अनुसार भूमि का बंटवाड़ा नहीं कर गलत रूप से बंटवाड़ा किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अर्सा 20 दिन पूर्व बरसात का मौसम होने पर उतरदातगण के अपीलांट को पूर्व में हुए मौखिक बंटवाडों के अनुसार कब्जा हटाने हेतु कहा जिस पर अपीलांट ने ऐसा करने

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कारण पुछा तो उतरदातागण ने बताया कि आपके कब्जे काश्त वाली भूमि बंटवाडे मे हमें प्राप्त हुई है तथा आपको कब्जा खाली करना पड़ेगा वरना हमें मजबूर होकर आपको जबरन बेदखल करना पड़ेगा। जिस पर अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल मांगी, जो दिनांक 14.07.2020 को प्राप्त होने पर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। गलत बंटवाडे की जानकारी होने पर वास्तविक जानकारी की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद पेश की जा रही है। इसके बावजूद अपील पेश करने में हुई देरी हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए अपील उपर्युक्त आधारों पर अन्दर मयाद शुमार करते हुए स्वीकार फरमावें।

6. रेस्पों. संख्या 01 से 07 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा तरला के खेत खसरा संख्या 9, 27 तथा 28 कुल रकबा 152.05 बीघा के खातेदारान ने दिनांक 07.12.2010 को तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2010 में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान पटवारी फागलिया द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मूल बंटवाड़ा पत्र खसरा संख्या 9, 27 व 28 ग्राम तरला का मेरे द्वारा इकरारनामें की रिकॉर्ड के आधार पर जांच की गई। सभी खातेदारों को रकबा एवं लगान से भी भली–भांति अवगत करा दिया है। बंटवाड़े से सभी खातेदार सहमत हैं तथा कोई विवाद नहीं है। इस विभाजन पत्र में न किसी खातेदार का नाम हटाया गया है न ही जोड़ा गया है एवं रकबा व लगान भी पूर्व खाता के अनुसार ही यथावत है। उक्त विभाजन पत्र स्वीकृति किये जाने की सिफारिश की जाती है। इस पर तहसीलदार चौहटन द्वारा हलका पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.12.2010 पारित किया गया। अर्सा 20 दिन पूर्व बरसात का मौसम होने पर उतरदातगण के अपीलांट को पूर्व में हुए मौखिक बंटवाडों के अनुसार कब्जा हटाने हेतु कहा जिस पर अपीलांट ने ऐसा करने कारण पुछा तो उतरदातागण ने बताया कि आपके कब्जे काश्त वाली भूमि बंटवाडे मे हमें प्राप्त हुई है तथा आपको कब्जा खाली करना पड़ेगा वरना हमें मजबूर होकर आपको जबरन बेदखल करना पड़ेगा। जिस पर अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल मांगी, जो दिनांक 14.07.2020 को प्राप्त होने पर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अपीलांट के द्वारा

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलाधीन आदेश की जानकारी उल्लेखित दस्तावेजों नकले प्राप्त होने पर होना प्रकट किया हैं जबकि अपीलाधीन विभाजन अपीलांट की स्वयं की उपस्थिति में स्वीकृत किया गया है तथा अपीलांट द्वारा अपनी सहमति में हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं हैं। इस अपीलाधीन सहमति बंटवाडें के करीब दस साल बाद हस्तगत अपील पेश की गई हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

अति. कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)